

(5)

मुहरबंद नीलामी हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति
राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर

* बीकानेर शहर की मुक्ता प्रसाद नगर योजना में निर्मित आवासों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा मव्य नीलामी

नीलामी बोली हेतु मुहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि दिनांक 03.04.2017 से दिनांक 10.04.2017 सायं 5.00 बजे तक	नीलामी बोली में प्राप्त मुहरबन्द प्रस्तावों को खोलने की तिथि 11.04.2017 एवं समय दोपहर 12.00 बजे
---	---

मुहरबंद नीलामी का स्थान
कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर-4, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर

(अ) सम्पत्ति का प्रकार :- निर्मित आवास

क्र. सं.	निर्मित आवास संख्या आय वर्ग	कोर्नर/ सामान्य / संख्या	भूखण्ड/ भवन का क्षेत्रफल/ माप आदि का विवरण (वर्ग मीटर)	न्यूनतम बोली मूल्य प्रति आवास	मुहरबंद नीलामी के साथ धरोहर राशि	श्रेणी
01	02	03	04	05	06	07
01	14/360 मध्यम आय वर्ग-ब	साधारण 1	162.00	41,53,300 ✓	2,07,665	सामान्य
02	12/45 उच्च आय वर्ग	साधारण 1	210.00	52,78,500 ✓	2,63,925	सामान्य
03	8/636, 9/104 उच्च आय वर्ग	साधारण 2	220.50	62,48,000 ✓	3,12,400	सामान्य
04	11/632 उच्च आय वर्ग	साधारण 1	162.00	52,32,500 ✓	2,61,625	सामान्य
05	11/633, 11/635, 11/636, 11/637, 11/638, 11/647 उच्च आय वर्ग	साधारण 6	162.00	52,34,200 ✓	2,61,710	सामान्य
06	12/379, 12/384, 12/396 मध्यम आय वर्ग-ब	साधारण 3	120.00	39,52,600 ✓	1,97,630	सामान्य
07	12/381, 12/386, 12/387, 12/390, 12/391, 12/398, 12/403, 12/404, 12/405, 12/408, 12/409, 12/410, 12/417 मध्यम आय वर्ग-ब	साधारण 13	120.00	39,52,900	1,97,645	सामान्य
08	12/383, 12/395, 12/406, 12/407, 12/420, 12/421 मध्यम आय वर्ग-ब	कोर्नर 6	121.725	40,00,000	2,00,000	सामान्य
09	12/385 मध्यम आय वर्ग-ब	साधारण 1	120.00	39,42,100	1,97,105	सामान्य
10	12/402 मध्यम आय वर्ग-ब	साधारण 1	120.00	39,62,700	1,98,135	सामान्य
11	12/416 मध्यम आय वर्ग-ब	साधारण 1	120.00	39,42,900	1,97,645	सामान्य

Dy. Housing Commissioner
Rajasthan Housing Board
Circle - Bikaner

- 1) बिडदाताओं द्वारा नीलानी बोली में बिड प्रस्तुत करने हेतु, बिड आवेदन पत्र मय नीलामी बोली की शर्तों के विस्तृत विवरण, संबंधित कार्यालय से दिनांक 03.04.2017 से 10.04.2017 (सायं 5.00 बजे तक) तक किसी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अथवा मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-प्रथम, बीकानेर फोन - 0151-2226972	उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-बीकानेर फोन - 0151-2226971
---	---

लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप

- 1) भूखण्ड का विवरण :

(अ) योजना का नाम : सेक्टर :


(ब) निर्मित आवास संख्या

- 2) बिडदाता का नाम :

- 3) श्रेणी-सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति :

- 4) संलग्न अमानत राशि रूपये : डी.डी./बैंकर चेक संख्या
दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम:

- 5) मुहरबन्द बिड खोलने की निर्धारित तिथि :


Dy. Housing Commissioner
Rajasthan Housing Board
Circle - Bikaner

बिडदाता के हस्ताक्षर

बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप

- 1) बिडदाता का नाम :
- 2) पिता/पति का नाम :
- 3) सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :
- (अ.जा./ज.जा. के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 4) पता :
- (प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
- 5) पेन नम्बर (पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
- 6) दूरभाष मोबाईल नम्बर
- 7) अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :-

(अ) योजना का नाम : सेक्टर :

(ब) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन
(जो लागू ना हो उसे काट दें।)

संख्या माप के लिये न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत राशि रुपये की
डी.डी./बैंकर चैक संख्या दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम
संलग्न है।

-: नीलामी की शर्त :-

- 1) प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिय बोलौदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी तथा राशि रुपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रुपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी।
- 2) उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घन्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी।
- 3) शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
- 4) उच्चतम बोली दाता को आवंटन पत्र की मांग राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करवानी होगी। उच्चतम बोली दाता द्वारा मांग राशि उक्त अवधि में जमा नहीं कराने की स्थिति में यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 30 दिवस के भीतर मय प्रक्रिया शुल्क जमा करवाकर समयावृद्धि हेतु आवेदन किया जाता है तो बकाया मांग राशि पर निर्धारित अन्तिम तिथि से 30 दिवस का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं यदि 30 दिवस पश्चात 31 से 60 दिवस के दौरान आवेदन करता है तो 60 दिवस का ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूल करते हुए संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा बोली को नियमित किया जा सकेगा। बकाया मांग राशि उक्त समयावधि में ही मण्डल खाते में जमा कराना अनिवार्य होगी। समयावृद्धि अवधि 60 दिवस पश्चात मण्डल द्वारा किसी प्रकार की राशि जमा किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा और ना ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा तथा नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली को उप आवासन आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 5) बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि/समय के पश्चात् प्राप्त हुये मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6) बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है, तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।


Dy. Housing Commissioner
Rajasthan Housing Board
Circle - Zikane

उद्घोषणा


मैं/हम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री बिडदाता
आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दूकान/निर्मित भवन संख्या
..... योजना का नाम सेक्टर घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि
मैंने/हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी
सम्बन्धी नियमों/विनियमों/शर्तों एवं उनमें समय-समय पर किये गये संशोधनों/संवर्द्धनों को भली-भांति समझ
लिया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर होने पर 10 प्रतिशत
राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप, मुझे/हमें नीलामी स्वीकृति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब
तक कि नीलामी बोली मण्डल के सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है एवं इस सम्बन्ध में, मैं/हम कोई
विवाद उत्पन्न नहीं करूँगा/करूँगी/करेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

बिड प्रस्ताव

मैं/हम आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन
संख्या योजना का नाम सेक्टर के लिए अपनी/हमारी बिड
दर रूपये (अंकों में) (शब्दों में रूपये
.....) प्रति वर्ग मी./प्रति आवास/प्रति दुकान/प्रति भवन प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ/करते हैं। (जो लागू
ना हो उसे काट दें।)


Dy. Housing Commissioner
Rajasthan Housing Board
Circle - Bikaner

हस्ताक्षर बोलीदाता

- 7) बिडदाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर/ राशि में अन्तर होने की स्थिति में, में उल्लेखित बिड दर/राशि ही मान्य होगी।
- 8) किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताये, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस संबंध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- 9) आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन "जहाँ है जैसा है" के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे।
- 10) आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अंतिम होगा एवं तदनुसार ही गणना की जायेगी।
- 11) किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहर बन्द बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जोकि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा।
- 12) आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान के लिए भूमि की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त से देय होगी।
- 13) आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1042/379 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
- 14) बिड के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय-समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।
- 15) नीलामी बोली के नियमों/शर्तों एवं अन्य जानकारी मेरे द्वारा संबंधित कार्यालय/मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर ली गयी है।
- 16) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्गमीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरित यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एकमुश्त कीमत बिड में भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में, अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से, एकमुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्गमीटर दर निकाली जायेगी।
- 17) खुली बोली न्यूनतम 100/- रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
- 18) सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होंगे।


 Dy. Housing Commissioner
 Rajasthan Housing Board
 Circle - Bikaner